सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री के०पी० सिंह देव): (क) और (ख) दूरदर्शन निदेशालय तथा विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा ऐसे धारावाहिकों का अनुमोदन एक सतत प्रक्रिया है। ऐसे मामलों के ब्यौरे केन्द्रीय तौर पर संकलित रूप में नहीं रखे जाते।

(ग) से (छ) कार्यक्रमों आदि को चालू करने में होने वाली अनियमितताओं आदि की घटनाओं की जांच कराई जाती है और जब भी आवश्यक हो, उन्हें केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजा जाता है। दूरदर्शन केन्द्र बंगलौर के एक कर्मचारी से संबंधित एक ऐसा मामला बंगलौर की एक विशेष अदालत में विचारणार्थ लंबित है। इस केन्द्र से संबंधित कतिपय अन्य अनियमितताओं की जांच केन्द्रीय जाच ब्यूरो को सौंपी गई है।

रंगोली चित्रहार इत्यादि के प्रसारण के लिए निजी क्षेत्र को अनुमति देना

1013. **श्री गोविन्दराव आदिक :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरदर्शन ने रंगोली, चित्रहार और साप्ताहिकी चित्रपट के प्रसारण के लिए निजी क्षेत्र को अनुमति दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) भविष्य में सरकार दूरदर्शन के कौन-कौन से कार्यक्रम निजी क्षेत्र को सौंपने पर विचार कर रही है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप सरकार को प्रतिवर्ष कितनी आय होने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) से (ग) जी, नहीं। दूरदर्शन ने अभी तक प्रयोगात्मक आधार पर तीन महीनों की अवधि के लिए केवल हिन्दी फिल्मों के गीत दृश्यों वाले अपने साप्ताहिक कार्यक्रम "रंगोली" का निर्माण और विपणन का कार्य सौंपा है।

(घ) निर्माता को प्रति प्रकरण 51 लाख रुपए (विशुद्ध) की राशि दूरदर्शन को देनी होगी।

खखनाल में एल० पी० टी०का कार्यक्रण

1014. **श्री महेश्वर सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में खखनाल नामक स्थान पर एल.पी.टी की स्थापना की गई थी और स्थानीय लोगों ने इसके सुचारू रूप से कार्यक्रन करने की शिकायतें की थीं ;

(ख) क्या इस उप-केन्द्र के कार्म निष्पादन में सुधार लाने की दृष्टि से इसे वी.एच.एफ. तकनीक के साथ जोड़ा गया था, किन्तु इसमें कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस मामले में तत्काल क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी सिंह देव) : (क) जी हां।

(ख) से (ग) अतिरिक्त उच्च फ्रिक्वेंसी बैंड पर कार्यरत एक अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर को अक्तूबर, 89 से खखनाल (मनाली) में चालू किया गया था। उक्त क्षेत्र में व्याप्त सघन वनस्पति (हरियाली) के द्वारा यू.एच.एफ. रेंज के संकेतों के अत्याधिक अवशोषण के कारण इस ट्रांसमीटर की कवरेज को अपर्याप्त पाया गया। इस कवरेज में सुधार हेतु, उक्त ट्रांसमीटर को अति उच्च फ्रिक्वेंसी बैंड पर कार्यरत एक अन्य ट्रांसमीटर द्वारा 21 अप्रैल, 94 से बदल दिया गया है। अब इस ट्रांसमीटर के संतोषजनक ढंग से कार्य करने की सूचना है।